

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

क्रमांक : प.4(1-आर)()स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/2022/ 188

दिनांक : 26.05.2022

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेशानुसार इस विश्वविद्यालय में दिनांक 1-1-2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कर्मिकों के लिये पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू की गई है। इस क्रम में उक्त कर्मिकों के माह अप्रैल के वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की कटौती विश्वविद्यालय नियमानुसार 12% की जायेगी। इन कर्मिकों की NPS कटौती 10% माह अप्रैल के वेतन से की हुई है। अतः समायोजन हेतु माह अप्रैल 2022 की 2% कटौती एवं माह मई 2022 की 12% कटौती भविष्य निधि अंशदान के रूप में माह मई 2022 के वेतन से की जावेगी।

(पवन कुमार कस्वां)
वित्तनियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/क्षे.निदेशक/प्रभारी अधिकारी/ईओ/डीडीओ।
2. कुलसचिव, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
3. निजी सचिव कुलपति, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
4. कोषाधिकारी, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
5. प्रभारी CIMCA, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर को वि.वि. वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(पवन कुमार कस्वां)
वित्तनियंत्रक